भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2267
गुरुवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों पर पक्षियों के विमान से टकराने के मामले

2267. श्री राजीव प्रताप रूडीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर के विमानपत्तनों पर पक्षियों के विमान से टकराने के कुल मामलों की संख्या का वर्ष-बार और विमानपत्तन-बार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार और विमानपत्तन प्राधिकारियों ने ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए पक्षियों के टकराने के जोखिम को कम करने और विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं के कारणों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार इस समस्या को कम करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों और मॉडलों को अपनाने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं।

(ख) से (ङ): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने लाइसेंस प्राप्त हवाईअड्डों पर संभावित वन्यजीव खतरे के प्रबंधन के लिए विनियम और दिशानिर्देश जारी किए हैं।

लाइसेंस प्राप्त हवाईअड्डों के एयरोड्रम प्रचालकों ने वन्यजीव खतरा प्रबंधन योजना (डब्ल्यूएचएमपी) विकसित की है और पक्षी-हिट घटनाओं के मुख्य कारणों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं।

वन्यजीव खतरा प्रबंधन योजना (डब्ल्यूएचएमपी) के अनुसार, पक्षी-हिट घटनाओं के कारणों को कम करने के लिए पक्षियों का पता लगाने और निवारक प्रौद्योगिकियों आदि की तैनाती सहित शमन उपाय नियोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, एयरोड्रोम प्रचालक संभावित खतरों का आकलन करने के लिए अध्ययन करते हैं ताकि ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए शमन कार्रवाई किया जा सके।

इसके अलावा, वन्यजीव खतरों के स्रोतों की पहचान करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु हवाईअड्डों पर एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समितियां (एईएमसी) गठित की जाती हैं।

हवाई अड्डों और उसके आसपास वन्यजीवों की उपस्थिति से संबंधित समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए डीजीसीए द्वारा राज्य प्राधिकारियों के साथ-साथ एयरोड्रम प्रचालकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

डीजीसीए द्वारा हवाई अड्डों के वार्षिक निगरानी निरीक्षण के माध्यम से विनियमन और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

अनुलग्नक

पिछले पाँच वर्षों (2021-2025) के दौरान हवाईअड्डों पर पक्षियों के टकराने की घटनाएँ दर्ज की गईं:

वर्ष	पक्षियों से टकराने की कुल घटनाओं की पुष्टि
2021	775
2022	1131
2023	1371
2024	1278
2025	1782

******